



2026:AHC: 2777

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19603 वर्ष 2025

माताबादल

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता :

देवीप्रसाद, जनार्दन यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता :

सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जनार्दन यादव और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. मुख्य रूप से, वर्तमान याचिका दिनांक 29.11.2025 के कारण बताओ नोटिस को रद्द करने के लिए है, जिसके द्वारा न केवल याचिकाकर्ता को कारण बताने के लिए कहा गया है, बल्कि उसे कर्तव्यों के पालन से भी रोक दिया गया है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस का अपना जवाब प्रस्तुत करना है, उनके मामले पर इस आधार पर विचार किया जाएगा कि याचिकाकर्ता एक आपराधिक मामले में दोषी सिद्ध है, हालांकि वह जमानत पर बाहर है।
4. इस स्तर पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि वह कारण बताओ नोटिस का जवाब देंगे।
5. मामला जो भी हो, रिट याचिका **निस्तारित** की जा रही है। याचिकाकर्ता के लिए कारण बताओ नोटिस का जवाब देना खुला है, यदि अभी तक जवाब नहीं दिया गया है, और उस उद्देश्य के लिए, याचिकाकर्ता आज पारित आदेश की प्रमाणित प्रति और याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति भी दाखिल करेगा, जिस पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार कड़ाई से विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा।

6. यह उल्लेख करना आवश्यक है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादियों से कोई जवाब मांगे बिना किया गया है। अतः, इस आदेश के पारित होने का अर्थ यह न निकाला जाए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किया है।

7. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।

8. आज दाखिल किए गए निर्देशों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है और परिशिष्ट-ए के रूप में अंकित किया जाता है।

7 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)